भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4081

उत्तर देने की तारीख- 19/12/2024

मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना

4081. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा असम, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की लम्बे समय से चली आ रही मांग पर विचार करने वाले ऐसे किसी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): भारत सरकार ने दिनांक 15.06.1999 को (25.06.2002 व 14.09.2022 को पुन: संशोधित) अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में समावेशन, से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के दावों पर निर्णय लेने के लिए प्रविधियां निर्धारित की हैं। प्रविधियां के अनुसार, केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विधान के संशोधन के लिए विचार किया जाता है जिन्हें संबंधित राज्य सरकार/केंद्रीय शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अनुशंसित किया गया हो और न्यायोचित माना गया हो और भारत के महापंजीयक (आर.जी.आई.) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) के द्वारा सहमति प्राप्त हो । मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन का प्रस्ताव आवश्यक है। सभी कार्यवाही अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार की जाती हैं।

******